09:23

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला..............................मध्य प्रदेश

क्रमांक / / प्रा.शि. / / 2024 दिनांक,

//आदेश //

कार्यालय आदेश क्रमांक..............................दिनांक.......................के सरल क्र.... ....द्वारा श्री....................................की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के पद पर की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2023 में प्राथमिक शिक्षक नियोजन में बी.एड योग्यता को मान्य करने संबंधी NCTE की अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 को निरस्त किया है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षक नियोजन में प्रशिक्षण योग्यता बी.एड मान्य नहीं है।

प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2022 एवं 2023 अतंर्गत नियुक्त बी.एड योग्यताधारी शिक्षकों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2024 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 में दिनांक 10.08.2023 तक नियुक्त बी.एड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति को मान्य किया गया है तथा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं :-

If any of the B-Ed- appointees were appointed on or subsequent to 11-08-2023 then their services will have to be dispensed with.

उक्त निर्णय के अनुक्रम में आपकी प्रशिक्षण योग्यता का परीक्षण किया गया है। आपकी प्रशिक्षण योग्यता बी.एड है तथा आपकी नियुक्ति दिनांक...................... को हुई है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के पद पर आपकी सेवाए निरंतर नहीं रखी जा सकती है। अतः एतद् द्वारा आपकी प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला ....

पृष्ठा.क्रमांक / / प्रा.शि. / / 2024 दिनांक,

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग.................... ।
3. जिला कोषालय अधिकारी जिला......................... ।
4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी .... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संकुल प्राचार्य ....की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित श्री ....की ओर सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला ....

Powered by WPS Office

09:23

← BEd reject_240829_085518

लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश –462023
Email ID : ucrs.dpi@mp.gov.in

क्र./यू.सी.आर./सी/274/प्रा.शि नियोजन/2024/1433 भोपाल, दिनांक 28/8/24

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला– आगर मालवा, अलीराजपुर,अशोकनगर,छतरपुर,
दमोह,डिंडोरी,गुना,कटनी,खण्डवा,मंदसौर,मुरैना,नरसिंहपुर,
नीमच,निवाड़ी,पन्ना,रायसेन,रतलाम,सागर,श्योपुर,शिवपुरी,
सीधी,सिंगरौली,टीकमगढ़,उज्जैन,विदिशा, मध्यप्रदेश।

विषय:– प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही विषयक्।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11.08.2023 को पारित आदेश में एनसीटीई की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया है। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने संबंधित याचिका डब्ल्यूपी 13768/2022 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 में यह निर्णय दिया गया है कि दिनांक 11.08.2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की अभ्यर्थिता को ही मान्य किया जाए अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुसार दिनांक 11.08.2023 को एवं इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी।

अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 पर संलग्न सूची अनुसार नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता का जिले में उपलब्ध रिकार्ड से परीक्षण कर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल निरस्त करें। सुझावात्मक प्रारूप संलग्न है।

यदि संलग्न सूची में किसी अभ्यर्थी की योग्यता में त्रुटिवश बीएड के स्थान पर डीएड लिखा है तो उसकी नियुक्ति भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में निरस्त करनी होगी। संलग्न सूची के अलावा जिले में 11.08.2023 को अथवा इसके पश्चात नियुक्त कोई अन्य बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक है,तो तत्काल नियुक्ति निरस्त करें।

उक्त कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

पृष्ठा. क्र./यू.सी.आर./सी/274/प्रा.शि नियोजन/2024/1434 भोपाल, दिनांक 28/8/24

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक,माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा एवं परिवहन भोपाल ।
2. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. संबंधित जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
4. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला..............................मध्य प्रदेश

क्रमांक / / प्रा.शि. / / 2024 दिनांक,

//आदेश //

कार्यालय आदेश क्रमांक..............................दिनांक..........................के सरल क्र.... ....द्वारा श्री.....................................की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के पद पर की गई।